यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि याचिकाकर्ता को उक्त बैठक आयोजित होने से पहले नियुक्त किया गया था। मिनट्स से पता चलता है कि गवर्निंग काउंसिल ने केवल याचिकाकर्ता की नियुक्ति के तथ्य को नोट किया था और कोई मंजूरी नहीं दी गई थी क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी।

(13) उपरोक्त कथनों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की सचिव के पद पर नियुक्ति से संबंधित मामला गवर्निंग काउंसिल के समक्ष रखा गया था और उसने नियुक्ति पर ध्यान दिया था। निश्चित रूप से यदि परिषद को नियुक्ति के संबंध में कोई आपत्ति होती तो वह इसे अस्वीकार कर सकती थी। हालाँकि, मैं अपने आप को यह मानने के लिए राजी नहीं कर सकता कि नियुक्ति स्वीकृत नहीं थी। जब गवर्निंग काउंसिल ने नियुक्ति पर आपत्ति नहीं जताई तो यह माना जाएगा कि उसने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मेरा यह भी मानना है कि अनुमोदन मूल नियुक्ति की तारीख से संबंधित होगा। मेरे विचार में नियुक्ति को गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस प्रकार यह नियमों के अनुसार था।

(14) किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की वैधता कोई मुद्दा नहीं है।

(15)) इसलिए, मेरा मानना है कि किसी प्राधिकारी को सौंपा गया कार्य केवल उस प्राधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए और वह भी अपने निर्णय के अभ्यास में। यह अपना कार्य तभी सौंप सकता है जब ऐसा करने के लिए कोई विशिष्ट शक्ति हो। वर्तमान मामले में ऐसी शक्ति का अभाव है।

(16) इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि प्रधान निदेशक की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, याचिका में उठाए गए अन्य तर्कों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। इसलिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और अनुबंध पी-25 और पी-26 पर दिए गए आदेशों को रद्द करता हूं। याचिकाकर्ता अपनी लागत का भी हकदार होगा, जिसका मूल्यांकन रुपये के रूप में किया गया है। 2,000.

आरएनआर.

पहले: वीके बाली, जे.

आशीष हांडा और अन्य-याचिकाकर्ता।

बनाम

. जिला प्रबंधक, 'टेलीफोन, चंडीगढ़ और अन्य, -प्रतिवादी।

*सिविल 'रिट याचिका संख्या*1338 का . 1991.

11 सितंबर 1991.

*भारत का संविधान,*1950—कला. -226—तत्काल योजना—'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत के टेलीफोन कनेक्शन जारी करना—आवेदन प्रपत्रों का अनियमित वितरण—कार्य करने की विधि

आशीष हांडा और अन्य बनाम जिला प्रबंधक, टेलीफोन, जे 8!9

चंडीगढ़ और दूसरा (वीके बाली, जे.)

योजना, आयोजित, मनमाना और भेदभावपूर्ण - विवेक का दुरुपयोग - रद्द किए जाने योग्य आवेदनों को आमंत्रित करने वाला विज्ञापन—पुन: विज्ञापन का आदेश—न्यायालय टेलीफोन कनेक्शन के आवंटन के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है।

*आयोजित,*हालाँकि तत्काल योजना किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को आमंत्रित नहीं कर सकती है, फिर भी जिस तरह से और जिस तरह से इस पर काम किया गया है, उसके परिणामस्वरूप मनमानी हुई है। तत्काल योजना को लागू करने में अधिकारियों को जो विवेकाधिकार दिया गया था, उसे इस प्रकार लागू किया गया कि इसे विवेकाधिकार के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। इसके उचित कार्यान्वयन के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर आवश्यक है कि आवेदन पत्र केवल उत्तरदाताओं के कार्यालय के बजाय कई स्थानों पर उपलब्ध हों। यह मानते हुए कि आवेदन पत्र शहर में कई स्थानों पर उपलब्ध थे, फिर भी यदि इतने सारे लोगों को एक ही दिन आवेदन पत्र प्राप्त होते और फॉर्म भरने के बाद उसी दिन अधिकारियों को जमा करना होता, तो यह नहीं है यह समझने योग्य है कि 'पहले आओ पहले पाओ' की योजना कैसे काम करती होगी और निर्धारित दिन पर ही फॉर्म जमा करने वालों के बीच प्राथमिकता होती होगी। बहस के दौरान प्रतिवादी-अधिकारियों ने समझाया कि जिन लोगों को उसी दिन फॉर्म जमा करना था, उनके बीच प्राथमिकता पहले फॉर्म प्राप्त करने के आधार पर तय की जानी थी, जिसमें फॉर्म पर कम संख्या में उभरा हुआ था। जो बाद में वितरित किये गये। मेरे विचार में, यह विधि इस कारण से स्वीकार्य नहीं थी कि तत्काल योजना स्पष्ट रूप से रुपये के भुगतान के साथ आवेदन पत्र के आधार पर पंजीकरण निर्धारित करती है। 1,000. रुपये की जमा राशि. आवेदन के पंजीकरण के लिए 1,000 रुपये पूर्व शर्त थी। उत्तरदाता संभवतः उस व्यक्ति की प्राथमिकता तय नहीं कर सकते, जिसे समय से पहले फॉर्म वितरित किया गया था, यदि उक्त व्यक्ति ने आवेदन पत्र को विधिवत भरने के बाद रुपये की प्रारंभिक राशि जमा नहीं की थी। 1,000 और इस प्रकार, एक निष्कर्ष निकाला जाना है कि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर तत्काल योजना संभवतः काम नहीं कर सकती है। यदि ऐसा है, तो एक और निष्कर्ष देना होगा कि प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए गए विवेक के परिणामस्वरूप विवेक का दुरुपयोग हुआ।

(पैरा 7)

*आयोजित,*तत्काल योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने और उसी विज्ञापन के परिणामस्वरूप आवेदन करने वालों को टेलीफोन कनेक्शन देने

वाले विज्ञापन को अनिवार्य रूप से रद्द किया जाना चाहिए और इसलिए इसे रद्द किया जाता है।

(पैरा 10)

*आगे आयोजित,*यदि निर्णय में उल्लिखित दिशानिर्देशों को अपनाया जाता है, तो योजना उचित, कुशल और न्यायपूर्ण तरीके से काम करेगी।

(पैरा 11)

*आगे आयोजित,*तदनुसार, प्रतिवादी-अधिकारियों को सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए योजना को फिर से विज्ञापित करने का निर्देश दिया जाता है

जिन्हें इस प्रकार विस्तृत किया गया है और उक्त सिद्धांतों के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने के लिए सख्ती से प्राथमिकता दी गई है।

(पैरा 12)

*अनुच्छेदों के अंतर्गत सिविल रिट याचिका*भारत के संविधान के 226/227 में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय उत्तरदाताओं से प्रासंगिक रिकॉर्ड मांगने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करने की कृपा कर सकता है और उसका अवलोकन करने के बाद निम्नलिखित की कृपा कर सकता है: -

(i) *प्रतिवादियों द्वारा बनाई गई तत्काल योजना को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करें सीएस विज्ञापन अनुलग्नक*पी 1;

(ii) *तत्काल योजना के संचालन और उसके तहत टेलीफोन कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने के लिए एक उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करना;*

(iii) *कोई अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ताओं के लिए उपयुक्त समझे और अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दे; और*

(iv) *याचिकाकर्ताओं को पुरस्कार की लागत.*

याचिकाकर्ताओं की ओर से जयश्री ठाकुर और मीत मल्होत्रा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल सरीन।

*एक/*प्रतिवादियों की ओर से एस. चौधरी, अधिवक्ता।

निर्णय

वीके बाली, जे.

आशीष हांडा और अन्य बनाम जिला प्रबंधक, टेलीफोन, जे 8!9
चंडीगढ़ और दूसरा (वीके बाली, जे.)

सिविल रिट याचिका 1338/91 के याचिकाकर्ता, साथ ही 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 3621 के याचिकाकर्ता; 1991 का 1174 और 1991 का 694, भारत सरकार, संचार मंत्रालय और दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 26 मई, 1988 द्वारा निर्धारित और निर्धारित टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए तत्काल (तत्काल) योजना के रूप में जानी जाने वाली योजना की वैधता और वैधानिकता को चुनौती दी है। (अनुलग्नक आरएल), अपने लिए कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा जनहित याचिका के माध्यम से अधिक। चूँकि उपरोक्त योजना को सभी याचिकाओं में समान तर्क के आधार पर चुनौती दी गई है, यह पर्याप्त होगा, यदि केवल 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 1338 के तथ्य दिए जाएं।

(2) याचिकाकर्ता 1 नं. 1 एक वकील है, वह इस उच्च कंपनी में अभ्यास कर रहा है जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 सशस्त्र बलों में सेवारत है। "याचिकाकर्ता नंबर 2 ने वर्ष 1984 में 1,000 रुपये की राशि जमा करके 'साधारण' श्रेणी में एक टेलीफोन बुक किया था और संशोधित

प्रतीक्षा सूची में, उन्हें बुकिंग नंबर एसईसी आवंटित किया गया था। 34/सीएच/जनरल/आर/673. याचिकाकर्ताओं द्वारा टेलीफोन की आवश्यकता को विभिन्न कारणों से गंभीर बताया गया है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि उनकी मां जो एनजाइना की मरीज हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है और, चीजों की प्रकृति के अनुसार, ऐसी चिकित्सा सहायता को तुरंत पूरा करने की आवश्यकता है। . कतार में खड़े होकर भी, याचिकाकर्ता 'साधारण' श्रेणी में अपने नंबर पर टेलीफोन आवंटित होने का इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी नजर ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस में 13 जनवरी, 1991 को छपे एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसके माध्यम से उन्हें एक मौका मिला। एक पखवाड़े के भीतर टेलीफोन कनेक्शन मिलने से उन्होंने राहत की सांस ली। निराशाजनक प्रतीक्षा के बाद, वह समय आ गया था जब उनकी टेलीफोन की आवश्यकता पूरी हो सकती थी, भले ही रुपये की भारी लागत पर। 30,000. विज्ञापन, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, में वाणिज्यिक अधिकारी (टेलीफोन) के प्रधान कार्यालय में 14 जनवरी, 1991 को उपलब्ध होने वाले फॉर्म पर आवेदन करके 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर पंजीकरण प्रदान किया गया था। अकेला। टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने की चिंता और अत्यधिक आवश्यकता के कारण, याचिकाकर्ता नंबर 1 निर्धारित तिथि यानी 14 जनवरी, 1991 को प्रतिवादी नंबर 2 के कार्यालय में गया। वहाँ, उसकी नियुक्ति रद्द होने पर उसे 5,000 की भारी भीड़ मिली। कार्यालय में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कार्यालय में अत्यधिक भीड़ होने के कारण वस्तुतः भगदड़ मच गई और इसके बाद प्रतिवादी नंबर 2 के कार्यालय को पुलिस की मदद से बंद कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं और कई अन्य लोगों को कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया जो वहां मौजूद थे। उस समय। याचिकाकर्ताओं के दावे के अनुसार, 14 जनवरी, 1991 को उत्तरदाताओं के एक अधिकारी ने घोषणा की कि कोई भी आवेदन पत्र वितरित नहीं किया जाएगा और आवश्यक स्पष्टीकरण अगले दिन प्रेस में दिखाई देगा। अगले दिन, हालांकि विभाग द्वारा किए गए वादे के अनुसार कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया और जांच करने पर याचिकाकर्ताओं को पता चला कि केवल 100

आशीष हांडा और अन्य बनाम जिला प्रबंधक, टेलीफोन, जे 8!9
चंडीगढ़ और दूसरा (वीके बाली, जे.)
आवेदन पूरी तरह से बाहरी आधार पर कुछ चुनिंदा लोगों को वितरित किए गए थे और इसके द्वारा तय पिक और जेटीजेडआरआर^एलवी^ का सिद्धांत 12 .टी 1»» टेलीफोन पर चला गया जिसे विभाग इस के तहत जारी करेगा "'■ 5™* °एफ लोग आवश्यक फॉर्म प्राप्त करने के लिए कार्यालय में उमड़ पड़े" और यह कि "विभाग ने अपना ग्रिल गेट बंद कर दिया ताकि भीड़ को उसके कार्यालय में प्रवेश करने से रोका जा सके।" J hX से पहले का समाचार आइटम, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रेस की रिपोर्टिंग का समर्थन करता है।
केवल 100 आवेदन फ़ॉर्म
बिना किसी प्रक्रिया के विभाग के चहेतों को वितरण कर दिया गया। ऊपर बताए गए तथ्यों पर, विरोधियों का मामला यह है कि भले ही तत्काल योजना के रूप में जानी जाने वाली योजना खराब, अधिकारातीत या मनमाना न हो, लेकिन जिस तरह से और तरीके से विज्ञापन पेश करके काम किया गया है, बदले में, 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर प्राथमिकता तय करने से पूरी तरह अराजकता फैल गई है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर इस तरह की प्राथमिकता मनमानी से भरी थी और दुरुपयोग के लिए खुली थी।

(3) इस याचिका का विरोध प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से प्रतिवादी संख्या 2, एचआर शर्मा, वाणिज्यिक अधिकारी द्वारा लिखित बयान दाखिल करके किया गया है। टेलीफोन, चंडीगढ़। याचिकाकर्ताओं के मुख्य आरोप के जवाब में, लिखित बयान में कहा गया है कि सेक्टर 34 और सेक्टर 17 के एक्सचेंज क्षेत्र में कुल 105 कनेक्शन जारी करने के लिए तत्काल योजना के तहत केवल सीमित संख्या में आवेदन पत्र वितरित किए जाने थे। 13 जनवरी, 1991 को अखबार में छपे विज्ञापन के अनुसार, 14 जनवरी, 1991 को जनता के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर आवेदन किया गया। हालांकि, चूंकि बहुत सारे इच्छुक आवेदक थे, फिर भी केवल 160 आवेदन पत्र ही बेचे गए। कतार के अनुसार और लंबी कतार को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की व्यवस्था थी। जहां तक 'साधारण' श्रेणी में उनकी बुकिंग के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे का सवाल है, लिखित बयान में कहा गया है कि

विभाग द्वारा जारी तत्काल योजना के अनुसार याचिकाकर्ताओं को इसे परिवर्तित करने का अधिकार था। तत्काल योजना और उस दिशा में उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, वे उस संबंध में कोई शिकायत नहीं कर सकते।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री एमएल सरीन ने तत्काल योजना के संबंध में कोई शिकायत किए बिना, हालांकि, दृढ़ता से तर्क दिया कि जिस प्रक्रिया में तत्काल योजना को क्रियान्वित करने की मांग की गई थी वह न केवल अव्यवहारिक थी बल्कि मनमाना भी. उनकी आपत्ति केवल विज्ञापन द्वारा 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने और आवेदकों का पंजीकरण करने को लेकर है। विद्वान वकील का तर्क है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिकारियों के पास उपरोक्त योजना को लागू करने का विवेकाधिकार नहीं था। इस स्थिति से अवगत रहें कि टेलीफोन कनेक्शनों की तीव्र कमी के साथ-साथ डब्ल्यू की विविधता को भी ध्यान में रखते हुए

इसकी आपूर्ति के अनुरूप टेलीफोन कनेक्शन की मांग, 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर प्राथमिकता तय करने से पूरी तरह से अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। अधिकारी इस जानकारी से अच्छी तरह से सुसज्जित थे कि जिन सैकड़ों और हजारों लोगों ने 'सामान्य श्रेणी' या 'ओवाईटी श्रेणी' के तहत आवेदन किया था, वे अभी भी वर्षों से टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा, यह अधिकारियों के संज्ञान में था कि टेलीफोन कनेक्शनों की भारी कमी और अपेक्षित मांग को पूरा करने में विभाग की असमर्थता के कारण, टेलीफोन रुपये के प्रीमियम पर बाजार में बेचे जा रहे थे। 40,000 से रु. प्रासंगिक समय पर 50,000. यदि यही स्थिति थी और इसकी जानकारी अधिकारियों को थी तो 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर प्राथमिकता देने की होड़ मच गई।

(5) याचिकाकर्ताओं के वकील को सुनने के बाद अदालत ने महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मामलों को सत्यापित करने के लिए विभाग के साथ-साथ जिला

आशीष हांडा और अन्य बनाम जिला प्रबंधक, टेलीफोन, जे 8!9
चंडीगढ़ और दूसरा (वीके बाली, जे.)

प्रबंधक, टेलीफोन, चंडीगढ़ के रिकॉर्ड को तलब किया, जिसका इस मामले में शामिल विवाद पर असर पड़ सकता है। तत्काल योजना के संबंध में विभाग द्वारा बनाए गए रजिस्टर सहित रिकॉर्ड और आवेदन पत्र तैयार किए गए थे। जिला प्रबंधक, टेलीफोन, वाणिज्यिक अधिकारी के साथ, अदालत में उपस्थित हुए और यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त थे कि प्रश्न की तारीख पर आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अभूतपूर्व भीड़ थी और बड़ी कठिनाई के बाद आदेश को बहाल किया जा सका। पुलिस। हालाँकि, जिला प्रबंधक टेलीफोन ने यह समझाने का प्रयास किया कि पहले के अनुभव और कई अन्य कारकों के कारण, विभाग को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग प्रवेश करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ और अराजकता होगी। विभाग के अधिकारियों की किसी की कीमत पर किसी को फायदा पहुंचाने की कतई मंशा नहीं थी। ऐसा हो सकता है और किसी का पक्ष लेने का कोई इरादा नहीं हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड का अवलोकन किसी तरह 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर तत्काल योजना के संचालन में स्पष्ट विरोधाभास दिखाता है। 'पहले आओ पहले पाओ' का गुण मुख्य रूप से हर किसी के लिए सुबह जल्दी उठकर कतार में खड़े होने के प्रयास में निहित है और फिर भी यह सभी संबंधितों द्वारा स्वीकार किया जाता है कि कार्यालय में आने वाले लोगों की संख्या तारीख-आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के सवाल पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी* कि कतार की जगह भीड़ ही नजर आ रही थी। हालांकि *h® P6^^0116^ 18 का मामला कि भगदड़ के कारण प्रतिवादी-

टी? ^°कार्यालय 311(1) ने आवेदन पत्र चोरी-छिपे अपने चहेतों को वितरित कर दिए, फिर भी यदि इस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, तो तथ्य

रहता है कि जो कतार कुछ देर के लिए लगी होगी वह कई बार टूटी होगी और पुलिस बुलाने के बाद ही व्यवस्था बहाल हुई होगी। भले ही प्रतिवादी-अधिकारियों के संस्करण पर विश्वास किया जाए कि पुलिस द्वारा आदेश बहाल करने के बाद जो कतार अस्तित्व में आई, उसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को प्राथमिकता पर फॉर्म देना संभव नहीं हो सका जो दूसरों की तुलना में इसे पहले प्राप्त करने आया हो। इस प्रकार, शुरुआत में ही 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत का उल्लंघन हो गया। सेक्टर 17 एक्सचेंज के

संबंध में यह देखा जाएगा कि एक विनय के. कौशल ने एक आवेदन किया था और उसका नाम क्रम संख्या 155 पर पंजीकृत था। उसी पते पर विनय के. कौशल ने तत्काल योजना के तहत दो और आवेदन दिए जो हैं क्रमांक 156 और 157 पर पंजीकृत। नीरू मेहता, एससीओ 21, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़, क्रमांक 154 पर पंजीकृत था। उसी पते पर, लेफ्टिनेंट कर्नल नाम के एक अन्य व्यक्ति का पंजीकरण है। केसी महाजन, जिनका सीरियल नंबर 160 है। इसी तरह, लखविंदर सिंह, 39, सेक्टर 5 ए, चंडीगढ़ क्रमांक 166 पर पंजीकृत है और उसी पते पर एक और पंजीकरण नंबर 167 है, हालांकि प्रीतपाल सिंह के नाम के साथ। एक सुरिंदर कुमार- सिंगला, 1512, सेक्टर एचडी, चंडीगढ़ क्रम संख्या 184 पर पंजीकृत है, जबकि उसी पते पर चमन लाल सिंगला के नाम पर एक और पंजीकरण संख्या 185 है। एक डिंपल ओबेरॉय, एससीओ नंबर 839, पहली मंजिल, मनी माजरा क्रमांक 189 पर पंजीकृत है और उसी पते पर संजीव ओबेरॉय के नाम पर क्रमांक 192 पर एक और पंजीकरण है। एग्रो टेक्निकल इंडिया लिमिटेड ढिल्लों कॉम्प्लेक्स, मनी माजरा क्रमांक 225 और साथ ही क्रमांक 241 पर पंजीकृत है। मैसर्स यूरेका फोर्ब्स, एससीओ नंबर 14, सेक्टर 7-सी, चंडीगढ़, क्रमांक 195 और साथ ही क्रमांक 241 पर पंजीकृत है। सेक्टर 34 एक्सचेंज में नंबर 53। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक लिमिटेड; 1137, सेक्टर 44-बी, चंडीगढ़, क्रम संख्या 43 के साथ-साथ क्रम संख्या 44 और 59 पर भी पंजीकृत है। सुशील महाजन, 390, सेक्टर 44-ए, चंडीगढ़ क्रम संख्या 70 और पर पंजीकृत है। उसी पते पर क्रमांक 71 पर एक और पंजीकरण है। दलबीर रंधावा, 520, सेक्टर 36-बी, चंडीगढ़ क्रमांक 63 पर और क्रमांक 78 पर भी पंजीकृत है। खुराना सारिस (प्रो.) 169-70 , सेक्टर 35-डी, चंडीगढ़ क्रम संख्या 36 पर पंजीकृत है और उसी पते पर पंजीकरण संख्या 38 भी है।

(6) मामला यहीं खत्म नहीं होता है और आगे देखा जाएगा कि जबकि अन्य सभी के लिए 1,000 रुपये जमा करने की तारीख 14 जनवरी, 1991 थी, प्रितपाल सिंह, 39, सेक्टर 5-ए, चंडीगढ़ के संबंध में, क्रमांक क्रमांक पर पंजीकृत .167, जमा करने की तारीख. रु. 1,000 जनवरी 15, 1991 था। मोटर इंडिया कंप्लाई के संबंध में

आशीष हांडा और अन्य बनाम जिला प्रबंधक, टेलीफोन, जे 8!9
चंडीगढ़ और दूसरा (वीके बाली, जे.)

क्रमांक 224 पर पंजीकृत, जे.ओ.ओ.ओ. पर भुगतान की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 1991 तक बढ़ा दी गई थी। एग्रो टेकमील एमडी ढिल्लों कॉम्प्लेक्स, मणि माजरा के लिए, क्रमांक 225 पर पंजीकृत, अंतिम तिथि श्रीमान भुगतान रुपये का 1,000 को 17 जनवरी 1991 तक बढ़ा दिया गया था। फिर भी या किसी अन्य आवेदक ने पंजीकरण कराया। क्रमांक 241 उसी पते पर, रुपये के भुगतान की अंतिम तिथि। 1,000 को इसी तरह 17 जनवरी 1991 तक बढ़ा दिया गया था। सुरजीत सिंह, महफ़िल रेस्तरां और होटल लिमिटेड के बारे में;' सेक्टर 17, चंडीगढ़, क्रम संख्या 242 पर पंजीकृत, रुपये के भुगतान की अंतिम तिथि। 1,000 को 21 जनवरी, 1991 तक बढ़ा दिया गया था। अजीत लाल गांधी, 650, सेक्टर 11-बी, चंडीगढ़ के लिए, क्रमांक 243 पर पंजीकृत,

रुपये के भुगतान की अंतिम तिथि थी। 1,000 को 23 जनवरी 17, 1991 को 1991 तक बढ़ा दिया गया। 34-एक्सचेंज के संबंध में भी यही पंजीकृत। के स्थिति है। इस न्यायालय में तलब किए गए रिकॉर्ड से पता भुगतान के चलता है कि क्रमांक 41 पर पंजीकृत लेहरी सिंह को रुपये जमा करने की अनुमति दी गई थी। 1,000

मेंकोई भी डाकघर. वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, क्रमांक 85 को रुपये का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। जनवरी तक 1,000 कृष्ण कुमार, क्रम संख्या 86 पर पंजीकृत, रुपये की तारीख। 1,000 को 23 जनवरी 1991 तक बढ़ा दिया गया था। क्रमांक 87 पर पंजीकृत के लिए, भुगतान की अंतिम तिथि 22 जनवरी, 1991 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा डाकघर में जमा 23 जनवरी, 1991 को किया गया था। एसपीएस संधू के लिए, क्रम संख्या 85 पर पंजीकृत, रुपये के भुगतान की अंतिम तिथि। 1,000 को 23 जनवरी 1991 तक बढ़ा दिया गया था, फिर भी डिमांड नोट की तारीख बाद में 29 जनवरी 1991 तक बढ़ा दी गई। विभाग का मामला यह है कि प्राथमिकता वितरित आवेदन पत्रों और जो पहले वितरित किए गए थे, के आधार पर तय की गई थी। समय की दृष्टि से, बाद में वितरित की गई संख्या की तुलना में उस पर छोटी संख्या उभरी हुई थी। यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यह प्राथमिकता कैसे तय की जा सकती है जब इतने सारे लोगों ने स्पष्ट रूप से कई आवेदन पत्र प्राप्त किए और एक ही पते पर इतने सारे टेलीफोन

कनेक्शन के लिए आवेदन किया। इसके अलावा, अब क्या विभाग पहले बांटे गए फॉर्म के आधार पर प्राथमिकता तय कर सकता है, जब योजना के अनुसार ही रुपये जमा होंगे। 1,000 पूर्व शर्त थी. मामले के रिकॉर्ड से यह प्रदर्शित होता है कि विभाग ने कई व्यक्तियों की तारीख बढ़ा दी थी और उन्हें रुपये की प्रारंभिक जमा राशि जमा करने की अनुमति दी गई थी। 23 जनवरी 1991 के बाद भी 1,000। ऐसे लोगों को प्राथमिकता कैसे दी जा सकती है यदि उन्होंने उन लोगों से पहले फॉर्म प्राप्त किया था जिन्होंने राशि 199^ 1000 °n ^ समान तिथि '^ई" 14 जनवरी 1991 या 15 जनवरी जमा की थी। ,

(7) उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के साथ-साथ जिला प्रबंधक टेली
फ़ोन पर, व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना है कि भले ही तत्काल योजना किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को आमंत्रित नहीं करती है, फिर भी जिस तरह से और जिस तरह से इस पर काम किया गया है, उसके परिणामस्वरूप मनमानी हुई है। केवल सीमित संख्या में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध थे। माना जाता है कि, आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए शुरुआती दिन कार्यालय में आने वाले आवेदकों की संख्या इतनी अधिक थी कि अधिकारियों के लिए कतार का प्रबंधन करना असंभव हो गया। यद्यपि यह प्रतिवादी-अधिकारियों को ज्ञात था कि अल में! संभावना यह है कि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर भीड़ को नियंत्रित करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और टेटकल योजना में टेलीफोन लेने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहले ही दिन कार्यालय की ओर दौड़ेगा ताकि दूसरों से आगे रह सके, फिर भी ऐसा नहीं है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी व्यवस्था की गई थी। जब स्थिति को संभालना असंभव हो गया तभी प्रतिवादी-अधिकारियों ने पुलिस की मांग की। सुबह-सवेरे कतार में खड़े होने में जो पुण्य हो सकता था, वह अभिशाप बन गया। तत्काल योजना को लागू करने में अधिकारियों को जो विवेकाधिकार दिया गया था, उसे इस प्रकार लागू किया गया कि इसे विवेक के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। इसके उचित कार्यान्वयन के लिए 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर आवश्यक है कि आवेदन पत्र केवल

उत्तरदाताओं के कार्यालय के बजाय कई स्थानों पर उपलब्ध हों। यह मानते हुए कि शहर में कई स्थानों पर आवेदन पत्र उपलब्ध थे, फिर भी यदि इतने सारे लोगों को एक ही दिन आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं और फॉर्म भरने के बाद उन्हें उसी दिन अधिकारियों को जमा करना होता है, तो यह है यह समझ में नहीं आता कि 'पहले आओ पहले पाओ' की योजना कैसे काम करती होगी और निर्धारित दिन पर ही फॉर्म जमा करने वालों के बीच प्राथमिकता कैसे होती होगी। बहस के दौरान प्रतिवादी-अधिकारियों ने समझाया कि 'जिन लोगों को उसी दिन फॉर्म जमा करना था, उनके बीच प्राथमिकता पहले फॉर्म प्राप्त करने के आधार पर तय की जानी थी, जिसकी तुलना में फॉर्म पर कम संख्या में उभरा हुआ था। जिन्हें बाद में वितरित किया गया। मेरे विचार में, यह विधि इस कारण से स्वीकार्य नहीं थी कि तत्काल योजना (अनुलग्नक आरआई) स्पष्ट रूप से रुपये के भुगतान के साथ आवेदन पत्र के आधार पर पंजीकरण निर्धारित करती है। 1,000. रुपये की जमा राशि. आवेदन के पंजीकरण के लिए 1,000 रुपये पूर्व शर्त थी। उत्तरदाता संभवतः उस व्यक्ति की प्राथमिकता तय नहीं कर सकते, जिसे समय से पहले फॉर्म वितरित किया गया था, यदि उक्त व्यक्ति ने आवेदन पत्र को विधिवत भरने के बाद रुपये की प्रारंभिक राशि जमा नहीं की थी। 1,000. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि यदि 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार का पालन किया जाना था, तो न केवल एक व्यक्ति

उसे समय से पहले एक आवेदन पत्र प्राप्त करना था, लेकिन उसे उसे भी भरना था और रुपये की प्रारंभिक जमा राशि के साथ प्रतिवादी अधिकारियों को सौंपना था। दूसरों से पहले 1,000. मान लीजिए, कई लोगों को फॉर्म भरना था और रुपये की प्रारंभिक जमा राशि के साथ अधिकारियों को सौंपना था। 1,000, उसी दिन से भी प्रतिवादी-अधिकारियों के लिए प्राथमिकता तय करना मुश्किल होता। योजना अनुबंध R1 से यह भी देखा जाएगा कि जो आवेदक पहले से ही 'OYT' और 'NON-OYT' श्रेणियों के तहत पंजीकृत थे, उन्हें जमा राशि के अंतर के भुगतान पर अपना पंजीकरण तत्काल योजना में स्थानांतरित करने का अधिकार था। दो योजनाओं में से. फिर भी योजना के इस हिस्से का विज्ञापन (अनुलग्नक पीआई) में उल्लेख तक नहीं किया गया था। मान लीजिए, इसका उल्लेख किया जाना था, तो उत्तरदाता यह नहीं बता सके कि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर उनकी प्राथमिकता कैसे तय की जाएगी। इसके अलावा, मामले के रिकॉर्ड से, जिसका वर्णन इस फैसले के पहले भाग में दिया गया है, यह देखा जाएगा कि इतने सारे लोगों ने एक ही पते पर आवेदन किया था और फिर भी, अधिकांश मामलों में, प्राथमिकता तय की गई थी उनके मामलों में एक के बाद एक। जाहिर है, वे सभी कतार में नहीं खड़े थे और इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति ने कई आवेदन पत्र खरीदे। इसके अलावा, कई लोगों को रुपये की प्रारंभिक जमा राशि जमा करने के लिए विस्तार दिया गया था। 1,000 और फिर भी उनकी प्राथमिकता भी तय कर दी गई है. परिस्थितियों की समग्रता से, जैसा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार, एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर लटकल योजना संभवतः काम नहीं कर सकती है। यदि ऐसा है, तो एक और निष्कर्ष देना होगा कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए गए विवेक के परिणामस्वरूप विवेक का दुरुपयोग हुआ।

(8) एकमात्र सवाल जो तय होना बाकी है वह यह है कि क्या यह अदालत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रयोग की गई शक्तियों के तहत, तत्काल योजना को लागू करने में अधिकारियों द्वारा अपनाई गई

प्रक्रिया को रद्द कर सकती है। दूसरे शब्दों में, यह पता लगाना होगा कि क्या यह अदालत अर्ध-न्यायिक या कार्यकारी प्राधिकरण में निहित विवेक को रद्द कर सकती है, जब उक्त विवेक के परिणामस्वरूप भेदभाव और मनमानी हुई हो।

(9) जब संसद अधिकारियों को शक्ति प्रदान करती है, तो यह अनिवार्य रूप से उन्हें विवेक भी देती है। प्राधिकार को स्वयं निर्णय लेना होगा कि कार्य करना है या नहीं करना है, और वह कैसे कार्य करना चाहता है। यदि इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण के पास शक्ति नहीं बल्कि कर्तव्य है। न्यायिक नियंत्रण की सबसे कठिन समस्याओं में से कई उन प्रश्नों से संबंधित हैं जहां शक्ति रुक जाती है और कर्तव्य शुरू हो जाता है। भले ही

प्राधिकार के पास कुछ करने की निःसंदेह शक्तियाँ थीं, इसे कैसे किया जाना है इसके कुछ कर्तव्य भी हो सकते हैं। अधिकारातीत का सिद्धांत केवल सत्ता की अधिकता के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्ता के दुरुपयोग को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि जहां कानून में गलत कारणों से या गलत प्रक्रिया से कुछ किया जाता है, वहां परिणाम समान होते हैं। विवेक का दुरुपयोग क्या है, इस पर ग्रिफ़िथ और स्ट्रीट ने प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों, 1952 संस्करण में चर्चा की है, जिसका विवरण आगे दिया गया है -

> "अदालतें लंबे समय से प्रशासनिक विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के अधिकार का दावा करती रही हैं। उन्होंने व्यापक लेकिन अस्पष्ट और संदिग्ध भाषा में विवेक के कथित अभ्यास को रद्द करने के लिए हमारे पास औचित्य का इस्तेमाल किया।

लॉर्ड हैल्सबरी की सुरम्य भाषा में इस सूक्ति की विशेषताओं को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> "जब यह कहा जाता है कि कुछ कार्य अधिकारियों के विवेक के अंतर्गत किया जाना है तो कुछ कार्य तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए; कानून के अनुसार निजी राय के

अनुसार नहीं..... ..

और हास्य नहीं. यह मनमाना, अस्पष्ट, काल्पनिक नहीं, बल्कि कानूनी और नियमित होना चाहिए।"

ऊपर उद्धृत की गई टिप्पणियों से, यह स्पष्ट होगा कि जब एक कार्यकारी प्राधिकारी को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो उसे ऐसा अच्छे विश्वास और निष्पक्षता से करना चाहिए न कि मनमाने तरीके से। अनियंत्रित शक्ति कानून के शासन से भिन्न है। किसी कार्यकारी प्राधिकारी के मनमाने कृत्यों पर अदालतों का हमेशा न्यायिक नियंत्रण रहेगा।

(10) ऊपर बताए गए कारणों के लिए, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर, 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर तत्काल योजना को संचालित करने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप न केवल भेदभाव हुआ है, बल्कि मनमानी भी हुई है, इस प्रकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। भारत के संविधान का. प्रतिवादी-अधिकारियों ने प्रासंगिक विचारों को नजरअंदाज करके गलत प्रक्रिया का पालन किया और इसलिए, तत्काल योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने वाले और उक्त विज्ञापन के परिणामस्वरूप आवेदन करने वालों को टेलीफोन कनेक्शन देने वाले विज्ञापन (अनुलग्नक पीआई) को आवश्यक रूप से रद्द किया जाना चाहिए। और, इसलिए, रद्द किया जाता है।

(11) इससे पहले कि मैं इस फैसले को समाप्त करूं, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस मुकदमे के पक्षकारों को सुझाव दिया गया था कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, तत्काल योजना को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और जिला प्रबंधक टेलीफोन भी इस बात पर सहमत हुए कि यदि इसके बाद उल्लिखित दिशानिर्देशों को अपनाया जाता है, तो योजना उचित, कुशल और उचित तरीके से काम करेगी: -

(i) आवेदन पत्र सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा टेलीफोन विभाग के कार्यालय में भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि इन्हें प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

(ii) आवेदन पत्र जमा करना और रुपये का भुगतान। 1,000 न केवल विभाग के साथ बल्कि शहर के किसी भी डाकघर में अनुमन्य होना चाहिए।

(iii) रुपये की प्रारंभिक राशि जमा करने के लिए समय का कोई विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। 1,000.

(iv) विज्ञापन सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। इसमें यह भी उल्लेख होना चाहिए कि जिन लोगों ने 'साधारण' या 'ओवाईटी' श्रेणी के तहत आवेदन किया था, उनके पास तत्काल योजना में रूपांतरण का विकल्प हो सकता है।

(v) निर्धारित सप्ताह के दौरान प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों में से ड्रा द्वारा एक प्राथमिकता सूची तैयार की जानी चाहिए और उक्त ड्रा में सभी आवेदकों की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए।

(vi) ड्रा के समय जो लोग तत्काल योजना के तहत टेलीफोन की उपलब्धता के अनुरूप टेलीफोन कनेक्शन के हकदार हैं, उन्हें टेलीफोन मिलना चाहिए और जिन्हें नहीं मिल पाया है, उनकी भी प्राथमिकता तय कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। . हालाँकि, यदि वे

राशि निकालना चाहते हैं, तो निर्धारित प्राथमिकता रद्द कर दी जानी चाहिए। जिन लोगों को पहले ड्रा में टेलीफोन उपलब्ध नहीं कराया जा सका, उन्हें पहले से तय प्राथमिकता के अनुसार सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए।

(vii) पुराने आवेदक जो पहले से ही OYT या NON-OYT श्रेणी में पंजीकृत हैं, उन्हें उक्त श्रेणी में अपनी प्राथमिकता नहीं खोनी चाहिए यदि वे ड्रॉ में टेलीफोन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

(12) तद्नुसार, जेसी ने ऊपर वर्णित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए योजना का विज्ञापन करने और उक्त सिद्धांतों के अनुसार आवंटित टेलीफोन कनेक्शनों को सख्ती से प्राथमिकता देने के लिए जेसी को निर्देशित किया है। परिणामस्वरूप, ऊपर बताए गए तरीके से रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। हालाँकि, इन मामलों की अजीब चाल को देखते हुए, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा